उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-01/2017/455 मंत्री/26-3-2016

लखनऊः दिनांक 02 जनवरी, 2017

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-234/2016/297सी0एम0/26-3-2016-3(15)/2007, दिनांक-22.12.2016 द्वारा 17 पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी तथा मछुआ को अनुसूचित जाति के रूप में परिभाषित किया गया है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में अन्य पिछडे वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है त्रुटिवश अंकित हो गया है, के स्थान पर 'शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी है' तथा प्रस्तर-2 में उल्लिखित उत्तर प्रदेश के स्थान पर उपरोक्त शब्द पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-234/2016/297सी0एम0/26-3-2016-3(15)/2007, दिनांक-22.12.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश का शेष अंश यथावत रहेगा।

सुनील कुमार श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

पृ0सं0-01/2017/455मंत्री(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-प्रमुख सचिव, न्याय/कार्मिक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।

2-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3-निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ।

4-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in